

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल संचय/सूक्ष्मजल के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्र विद्या नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजस्वगत, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विभाग किसी उत्तिकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक विभाग को सूचित करेंगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य सिद्धि केवल आवासीय जगहों के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पत्ती-1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 648 दिनांक 22/09/2020
 पार्थिवराज (A) अर्थात् सुभाषिनी कोठारा एंठ (2) कीर्ती रेखा कोठारा
 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000
 धारा 194 (2) (ग) के तहत आवासीय पड़े संख्या 49/55-56 (गण) अखण्ड
 पवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश जाके खोखे जाण, सोझी गेट में रेखा
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3120/- (तीन हजार दो सौ) रुपये
 जसिखे रसोद संख्या 1031/3525, 3526
 दिनांक 22/09/2020 को जमा करा दी है ।

Prof. खान 2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर